रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 78] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 15, 1972/चैत्र 26, 1894

No. 78] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 15, 1972/CHAITRA 26, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April 1972

No. RS.1/1/72-L.—The following order by the President, dated the 15th April, 1972, is published for general information:—

"In exercise of the powers conferred upon me by sub-clause (a) of clause (2) of article 85 of the Constitution, I hereby prorogue the Rajya Sabha.

The 15th April, 1972.

V. V. GIRI,
President."

B. N. BANERJEE, Secy.

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1972

संख्या आर०एस०—1/1/72–एस.—राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निम्नलिखित आदेश दिनांक 15 अप्रैल, 1972 आम सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद् द्वारा राज्य सभा का सत्रावासन करता हूं ।

15 अप्रैल, 1972 । वी० वी० गिरि,
राष्ट्रपति ।"

वी० एन० बनर्जी, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972